

# अमर उजाला

## नकली कीटनाशक बनाने का कारखाना पकड़ा



लखनऊ व्यूरो

Updated Thu, 25 Feb 2021 12:38 AM IST



बाराबंकी। शहर के पल्हरी चौराहा के निकट शांति विहार कालोनी के इसी घर में चल रहा अवैध पेस्टीसाइड का ?

- फोटो : BARABANKI

बाराबंकी। उप कृषि निदेशक कार्यालय से पांच सौ मीटर दूरी पर संचालित नकली कीटनाशक मैलाथियॉन, फेनूअल व माइक्रो कीटनाशक बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया। जिसमें भारी मात्रा में तैयार व कच्चा माल बरामद हुआ। दो वाहनों पर तैयार माल लदा पाया गया। कृषि विभाग ने बरामद माल समेत कारखाने को सील कर उसके नमूने संरक्षित किए हैं। यह कारखाना एक टेंट व्यवसायी के मकान में संचालित था। नगर कोतवाली के रामनगर तिराहे के समीप शांति विहार कॉलोनी में टेंट के व्यवसाय की आड़ में नकली खाद बनाने का कारखाना चलाने की सूचना पर बुधवार सुबह जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने कोतवाली पुलिस के साथ छापा मारा। इस दौरान टेंट हाउस के गोदाम में नकली कीटनाशक की पैकिंग करने के लिए रायल ग्रुप की उत्तर प्रदेश बायो टेक्नालॉजी लिमिटेड नोएडा की कंपनी मार्का बोरी व प्लास्टिक के पैकेट मिले।

उसके बाद नकली कीटनाशक बनाने के केमिकल, कलर तो मकान के सबसे ऊपर छत पर पत्थर के बुरादे में कलर कर कीटनाशक तैयार करते कुछ मजदूर मिले। इसकी जानकारी पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रीति किरन बाजपेयी भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान कुछ लोग टीम को देख पिछले दरवाजे से भाग निकले। इतना ही नहीं तैयार मैट्रियल व कंपनी के नाम के गते दो वाहनों पर लोड पाए गए। मौके पर मिले विकास गुप्ता ने बताया कि यह टेंट हाउस उसके चाचा सोनू गुप्ता का है। बरामद सामान को डब्ल्यूबीएल कंपनी से नीलामी में खरीदा गया।

अयोध्या के रौजागांव की जा रही थी सप्लाई

शहर से नकली कीटनाशक की सप्लाई रौजागांव में होने की बात सामने आई है। पिकअप का चालक व उसके बेटे ने बताया कि वह विकास के यहां टेंट का सामान ढोने का काम करता था। आज जो सामान उसके वाहन पर लोड किया गया था उसे रौजागांव ले जा रहा था। पहले भी यह सामान वहां ले जा चुका है। इससे साफ है कि बाराबंकी के कारखाने में तैयार होने वाले नकली कीटनाशक की पैकिंग की फैक्टरी अयोध्या जिले के रौजागांव में संचालित हो रही है।

इसी कॉलोनी में पहले पकड़ी गई थी नकली खाद की फैक्टरी

उप कृषि निदेशक के पल्हरी स्थित कार्यालय के समीप नकली कीटनाशक का कारखाना पकड़े जाने का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले इसी कॉलोनी में जहां एक डीएपी व एनपीके खाद बनाने की एक फैक्टरी पकड़ी गई थी। वहीं कुछ दूरी पर ही एक अन्य कॉलोनी में जिंक बनाने की एक फैक्टरी पकड़ी गई थी।

बिना लाइसेंस के नकली कीटनाशक का कारखाना मिला है। इसमें फोरेट, मैलाथियॉन, सेल्फासेल्फिलाइन व छह ड्रम केमिकल बरामद हुआ है। यह सारा सामान एक्सपायरी है जो छह वर्ष पूर्व बंद हुए एक कंपनी का है। जिसे सील कर दिया गया है। नमूने संरक्षित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद केस दर्ज किया जाएगा।

-प्रीति किरन बाजपेयी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी

खाद की 47 दुकानों पर छापा, 12 नमूने भरे

बाराबंकी। पीओएस मशीन से खाद का वितरण व स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए अभियान चलाकर खाद की दुकानों पर छापे मारे गए। डीएम द्वारा गठित की गई तहसीलवार टीमों ने उर्वरक की 47 दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान दस्तावेज अपूर्ण होने पर छह दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं 12 नमूने लिए गए।

नवाबगंज तहसील में उप कृषि निदेशक अनिल कुमार सागर तो फतेहपुर में जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने 15-15 दुकानों पर छापा मारा। सिरौलीगौसपुर व रामसनेहीघाट में भूमि संरक्षण अधिकारी ने 10 तो हैदरगढ़ में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती ने सात दुकानों पर छापा मारा। (संवाद)

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/barabanki/raid-barabanki-news-lko566604036>